27.1.20	पत्रावली वास्ते प्रार्थनापत्र विशेष तलबता (अपीलांट) पेश हुये, उस पर जवाब व बहस हेतु पेश हुई। वकील अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि अपीलांट, रेस्पो० संख्या 03 की तामील बावत अखबार के द्वारा तामील कराने में असमर्थ है। रेस्पो० की (03) तलबी जरिये अखबार साया कराने [illegible] से [illegible] कराया जावे। प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता रेस्पोंडेंट को दिया जाकर शा० फा० किया गया। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट अभी बहस करना चाहते हैं।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट मुफलिस अपना गुजारा कर पा रहे हैं रे० ०३ की तामील जरिये अखबार साया कराये बाबत लीगल एड को आदेशित करावें।

वकील रेस्पोण्डेन्ट द्वारा इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.11.19 की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया जाकर निवेदन किया कि स्वयं अधि. अपीलान्ट द्वारा यह कथन किया गया था कि "रे०3 पर अभी तामील नहीं है, उसको अखबार में साया करवाया जाना आवश्यक है।" स्वयं अधिवक्ता अपीलान्ट का यह पक्ष है और अब इसमें जानबूझकर Delay tactics अपनाकर इसको Delay कर रहा है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि राजस्व न्यायालय में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, सिविल कोर्ट में भी केवल कोर्ट फीस व अधिवक्ता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यहाँ अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय में अपने अधिवक्ता के जरिये कार्यवाही करवा रहे हैं और वाद की प्रक्रिया के दौरान "अखबार साया तामिल हेतु" लीगल एड का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर, न्यायालय के आदेश दिनांक 18.11.19 की अनुपालना नहीं करने के कारण अपील भारी हर्जा पर खारिज की जावे।

हमारे द्वारा उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। इस संदर्भ में विधिक सहायता प्रावधान व आदेश 33 जाब्ता दीवानी के कानूनी प्रावधानों का भी अवलोकन किया गया। विधिक सहायता प्रावधान में मुख्य सहायता प्रार्थी को अधिवक्ता उपलब्ध करवाना एवं कोर्ट फीस सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि तामील हेतु अखबार में सामा करवाने की सहायता देय हो। उपर्युक्त सहायता भी केवल दीवानी व अपराधिक सुनवाई वाले न्यायालयों के लिए ही है।

द्वितीय, प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ रेवेन्यू कोर्ट मैन्युअल के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदन कि विषय वस्तु को सत्यापित नहीं किया गया है तथा आवेदक की जंगम या स्थावर परिसम्पत्ति की अनुसूची उक्त सम्पत्ति के प्राकलित रकमों सहित उपाबद्ध नहीं की गई है, जिससे न्यायालय कोई धारणा बना सकता।

तृतीय स्वयं अधिवक्ता अपीलार्थ द्वारा दिनांक 18.11.19 को स्वयं अखबार में सामा करवाने की इच्छा की गई थी।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अधिवक्ता/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन, कानूनी प्रावधान न होने तथा स्वयं अधिवक्ता द्वारा की गई इच्छा दिनांक 18.11.19 एवं स्वयं अधिवक्ता पहले से ही मौजूद होने के कारण खारिज की जाती है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट द्वारा यह भी कथन किया गया कि स्वयं अपीलार्थ की प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.19 को जो आदेश 'तामिल बजरिये रे० 3' की पालना नहीं किए जाने के कारण अपीलार्थ "नोन कम्पलायंस" में खारिज की जावे, इस बाबत अधिवक्ता अपीलार्थ ने पुनः कोई कथन नहीं किया।

हमारे द्वारा न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.11.19 का पुनः अवलोकन किया गया

धारा 1 कार्यवाही

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्वयं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा रे० 3 की तामिल अखबार में साया करवाने की ज्ञापना स्वीकार किया जाकर अनुमति प्रदान की गई परन्तु अब सारहीन ज्ञापन पत्र जिसको खारिज किया गया है, जो केस का प्रकरण को विलम्बित करने का आशय प्रकट हो रहा है। ऐसी स्थिति में वकील अपीलार्थी द्वारा आदेशिका दिनांक 18.11.19 की पूर्ति न करने के कारण आदेश 09 नियम 05 के प्रावधानों के अनुसार अपील खारिज की जाती है। ह०	